



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 - 31.03.2021) के लिए कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट (सीआईए) के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में

4 अगस्त, 2017

ऐरा बिल्डिंग
प्रशासनिक परिसर
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली-110003

स्टॉप

18. आदेशों का सारांश

निर्णय संख्या- 1	टैरिफ निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली
निर्णय संख्या- 2	पहली नियंत्रण अवधि के लिए सही करना (डू-अप)
निर्णय संख्या -3	यातायात पूर्वानुमान
निर्णय संख्या -4	वैमानिक और गैर वैमानिक सेवाओं के मध्य परिसंपत्तियों का आबंटन
निर्णय संख्या -5	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति आधार
निर्णय संख्या -6	पूँजीगत व्यय
निर्णय संख्या -7	मूल्यहास का प्रतिपादन (ट्रीटमेंट)
निर्णय संख्या -8	दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी
निर्णय संख्या -9	रिर्टन की उचित दर (FRoR)
निर्णय संख्या-10	गैर-वैमानिक राजस्व
निर्णय संख्या-11	प्रचालन और रखरखाव के व्यय
निर्णय संख्या-12	कराधान
निर्णय संख्या-13	टैरिफ दर कार्ड

स्टॉप

19. आदेश

- 19.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए कालीकट हवाई अड्डे पर लगाए जाने के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए गए जो संलग्नक-I, संलग्नक-II, संलग्नक-III और संलग्नक-IV में दिए गए हैं। ये दरें 01.09.2017 से प्रभावी होंगी। उत्तरवर्ती टैरिफ वर्ष के लिए टैरिफ (अर्थात वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019- 20 और वित्त वर्ष 2020-21) वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक टैरिफ वर्ष की 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
- 19.2 विमान नियम 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए यूडीएफ की दर निर्धारित की गई जो कि संलग्नक-I संलग्नक II, संलग्नक III और संलग्नक IV में दर कार्डों में दी गई हैं। ये दरें 01.09.2017 से प्रभावी होंगी।
- 19.3 इसमें निर्धारित टैरिफ की दरें अधिकतम हैं, इसमें कर यदि कोई हों तो वह इसमें शामिल नहीं है।

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह/-

(रामेन्द्र प्रताप शुक्ला)
उप प्रमुख

सेवा में,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली -110003

स्टांप

संलग्नक । विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.09.2017 से 31.03.2018 तक लागू होगा

1) लैंडिंग प्रभार

दर प्रति लैंडिंग - अंतरराष्ट्रीय उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 240 प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एम टी तक	₹ 6,000+₹450 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एम टी तक	₹ 17,250+₹ 520 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एम टी तक	₹ 43,250+₹600 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹103,250+₹720 प्रति एमटी 200एमटी से अधिक पर

दर प्रति लैंडिंग -घरेलू उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एम टी तक	₹ 160 प्रति एमटी
25 एम टी से अधिक 50 एमटी तक	₹4,000+₹280 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹11,000+₹320 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 27,000+₹390 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 66,000+₹440 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

घरेलू उड़ान संचालन (Operation) को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.08.2017 से 31.08.2017 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचालन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग घरेलू) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचालन में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- प्रति आपरेटर प्रति पखवाड़े के लिए प्रारंभिक विमान संचालन को 16.08.2017 से 31.08.2017 तक लिया जाएगा। गणना के उद्देश्य के लिए दिनांक 16.08.2017 से 31.08.2017 तक की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचालन प्रति ऑपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष (दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक के लिए कीलित (frozen) कर दिया जाएगा।
- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है

स्टांप

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.08.2017 से 31.08.2017 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचलन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग अंतरराष्ट्रीय) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचलन में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- प्रति आपरेटर प्रति पखवाड़े के लिए प्रारंभिक विमान संचलन को 16.08.2017 से 31.08.2017 तक लिया जाएगा। गणना के उद्देश्य के लिए दिनांक 16.08.2017 से 31.08.2017 तक की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचलन प्रति ऑपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष (दिनांक 01.09.2017 से 31.03.2018 तक के लिए कीलित (frozen) कर दिया जाएगा।
- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है

टिप्पणी

1)	जहां तक लैंडिंग प्रभारों का संबंध है भारतीय ऑपरेटरों द्वारा उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी घरेलू लैग्स (legs) को घरेलू उड़ानों के रूप में माना जाएगा इस संबंध में ऐसी उड़ानों की निर्दिष्ट उड़ान संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	क) हवाई अड्डे पर घरेलू अनुसूचित ऑपरेटर द्वारा संचालित किए जाने वाले 80 से कम सीट वाले अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान और ख) सभी प्रकार के हेलीकाप्टरों ग) डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग स्कूल/फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एयरक्राफ्ट के संबंध में लैंडिंग प्रभार देय नहीं होगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी (अर्थात 1000 किग्रा) के आधार पर गणना की जाएगी

स्टॉप

II) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

	दरें (₹ में)	दरें (₹ में)
एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दर प्रति घंटा	हाऊसिंग प्रभार दर प्रति घंटा
25 एम टी तक	₹ 3 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹75+₹4 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹150+₹8 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 175+₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 350+₹ 16 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹575+₹10 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹1,150+₹20 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹1, 575+₹11 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹3,150+₹22 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

नोट

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	कालीकट हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टॉप

III) थ्रूपट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (र में)
र 117.70

IV) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)* - विद्यमान दर जारी रहेगी।

- 1) 130/- र प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

V) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर
घरेलू	र 189 प्रति सवार यात्री
अंतराष्ट्रीय	र 423 प्रति सवार यात्री

टिप्पणी

1)	अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 रूपए की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।
5)	संशोधित यूडीएफ प्रभार 01.09.2017 को या इसके पश्चात जारी किए गए टिकटों पर लागू होंगे।

VI) हवाई अड्डों पर लेवी से और पीएसएफ से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और सिक्युरिटी के संग्रहण से छूट देने का निदेश दिया है।

1)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
2)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
3)	ड्यूटी पर एयरलाईन कर्मीदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मीदल को केवल विशेष उड़ान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
4)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
5)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
6)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
7)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात् तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VII) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उड़ान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक II - विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.04.2018 से 31.03.2019 तक लागू होगा

i) लैंडिंग प्रभार

दर प्रति लैंडिंग - अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 250 प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 6,250+₹ 468 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 17,950+₹ 541 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 45,000 +₹ 624 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एम टी से अधिक	₹ 107,400+₹ 749 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

दर प्रति लैंडिंग -घरेलू उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एम टी तक	₹ 166 प्रति एमटी
25 एम टी से अधिक 50 एम तक	₹ 4,150+₹ 291 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एम टी तक	₹ 11,425+₹333 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹28,075+₹406 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹68,675+₹458 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

घरेलू उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.03.2018 से 31.03.2018 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचलन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग घरेलू) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचलनों में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 16.03.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक विमान संचलन प्रति आपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छूट की गणना के प्रयोजन के लिए कीलित (Frozen) कर दिया जाएगा।

स्टॉप

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.03.2018 से 31.03.2018 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचलन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग अंतरराष्ट्रीय) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचलनों में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 16.03.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक विमान संचलन प्रति आपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए छूट की गणना के प्रयोजन के लिए कीलित (Frozen) कर दिया जाएगा।

टिप्पणी

1)	जहां तक लैंडिंग प्रभारों का संबंध है भारतीय आपरेटरों द्वारा उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी घरेलू लैग्स (legs) को घरेलू उड़ानों के रूप में माना जाएगा इस संबंध में ऐसी उड़ानों की निर्दिष्ट उड़ान संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	क) हवाई अड्डे पर घरेलू अनुसूचित आपरेटर द्वारा संचालित किए जाने वाले 80 से कम सीट वाले अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान और ख) सभी प्रकार के हेलीकाप्टरों ग) डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग स्कूल/फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एयरक्राफ्ट के संबंध में लैंडिंग प्रभार देय नहीं होगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी (अर्थात 1000 किग्रा) के आधार पर गणना की जाएगी

स्टॉप

II) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

	दरें (₹ में)	दरें (₹ में)
एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दर प्रति घंटा	हाऊसिंग प्रभार दर प्रति घंटा
25 एम टी तक	₹ 3 प्रति घंटा एमटी प्रति	₹ 6 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 75+ ₹ 4 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹ 150+ ₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 175+₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 350+ ₹ 16 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 575+₹ 10 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹ 1,150+ ₹ 20 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 1,575+₹ 11 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹ 3,150+ ₹ 22 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

नोट

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	कालीकट हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टॉप

III) थ्रूपट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (र में)
र 123.60

IV) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)* - विद्यमान दर जारी रहेगी।

- 1) 130/- र प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

V) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर
घरेलू	र 197 प्रति सवार यात्री
अंतरराष्ट्रीय	र 440 प्रति सवार यात्री

टिप्पणी

1)	अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 रूपए की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टांप

VI) हवाई अड्डों पर लेवी से और पीएसएफ से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और सिक्युरिटी के संग्रहण से छूट देने का निर्देश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाईन कर्मिंदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मिंदल को केवल विशेष उडान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
च)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
छ)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
ज)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VII) सामान्य शर्त:

क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उडान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।

ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टॉप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक III विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.04.2019 से 31.03.2020 तक लागू होगा

i) लैंडिंग प्रभार

दर प्रति लैंडिंग - अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (र में)
25 एमटी तक	₹ 260 प्रति एमटी
25 एम टी से अधिक 50 एम टी तक	₹ 6,500+ ₹ 487 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एम टी से अधिक 100 एम टी तक	₹ 18,675+ ₹ 563 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एम टी से अधिक 200 एम टी तक	₹ 46,825+ ₹ 649 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एम टी से अधिक	₹ 111,725+ ₹ 779 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

दर प्रति लैंडिंग -घरेलू उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (र में)
25 एम टी तक	₹ 173 प्रति एमटी
25 एम टी से अधिक 50 एम तक	₹ 4,325+ ₹ 303 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एम टी तक	₹ 11,900+ ₹ 346 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 29,200+ ₹ 422 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 71,400+ ₹ 476 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

घरेलू उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.03.2019 से 31.03.2019 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचलन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग घरेलू) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचलनों में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 16.03.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक विमान संचलन प्रति आपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए छूट की गणना के प्रयोजन के लिए कीलित (Frozen) कर दिया जाएगा।

स्टॉप

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.03.2019 से 31.03.2019 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचलन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग अंतरराष्ट्रीय) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचलनों में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 16.03.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक विमान संचलन प्रति आपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए छूट की गणना के प्रयोजन के लिए कीलित (Frozen) कर दिया जाएगा।

टिप्पणी

1)	जहां तक लैंडिंग प्रभारों का संबंध है भारतीय आपरेटरों द्वारा उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी घरेलू लैग्स (legs) को घरेलू उड़ानों के रूप में माना जाएगा इस संबंध में ऐसी उड़ानों की निर्दिष्ट उड़ान संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	क) हवाई अड्डे पर घरेलू अनुसूचित आपरेटर द्वारा संचालित किए जाने वाले 80 से कम सीट वाले अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान और ख) सभी प्रकार के हेलीकाप्टरों ग) डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग स्कूल/फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एयरक्राफ्ट के संबंध में लैंडिंग प्रभार देय नहीं होगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी (अर्थात 1000 किग्रा) के आधार पर गणना की जाएगी

स्टांप

II) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

	दरें (₹ में)	दरें (₹ में)
एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दर प्रति घंटा	हाऊसिंग प्रभार दर प्रति घंटा
25 एम टी तक	₹ 3 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 75+ ₹ 4 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹ 150+ ₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 175+ ₹ 8 प्रति घंटा प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर	₹ 350+ ₹ 16 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 575+ ₹ 10 प्रति घंटा प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर	₹ 1,150+ ₹ 20 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 1,575+ ₹ 11 प्रति घंटा प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर	₹ 3,150+ ₹ 22 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

नोट

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ्ट प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	कालीकट हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया गया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टॉप

III) थ्रूपट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (र में)
र 129.80

IV) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)* - विद्यमान दर जारी रहेगी।

- 1) 130/- र प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

V) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर
घरेलू	र 205 प्रति सवार यात्री
अंतरराष्ट्रीय	र 458 प्रति सवार यात्री

टिप्पणी

1)	अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 रूपए की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टांप

VI) हवाई अड्डों पर लेवी से और पीएसएफ से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और सिक्युरिटी के संग्रहण से छूट देने का निर्देश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाईन कर्मिंदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मिंदल को केवल विशेष उडान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
च)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
छ)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
ज)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VII) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उडान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

संलग्नक IV विस्तृत टैरिफ कार्ड 01.04.2020 से 31.03.2021 तक लागू होगा

i) लैंडिंग प्रभार

दर प्रति लैंडिंग - अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 270 प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एम टी तक	₹ 6,750+₹506 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एम टी तक	₹ 19,400+₹ 586 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एम टी तक	₹ 48,700 + ₹ 675 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 116,200+₹810 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

दर प्रति लैंडिंग -घरेलू उड़ान

विमान का वजन	दर प्रति लैंडिंग (₹ में)
25 एमटी तक	₹ 180 प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 4,500+₹315 प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 12,375+₹360 प्रति एमटी 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 30,375+₹439 प्रति एमटी 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 74,275+₹495 प्रति एमटी 200 एमटी से अधिक पर

घरेलू उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचालन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग घरेलू) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचालनों में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%
<p>टिप्पणी:</p> <ul style="list-style-type: none"> विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा। कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 16.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक विमान संचालन प्रति आपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छूट की गणना के प्रयोजन के लिए कीलित (Frozen) कर दिया जाएगा। 	

स्टॉप

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन:

दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के लिए वास्तविक विमान संचालन (Movement) या ग्रीष्म कालीन अनुसूची इनमें से जो भी अधिक है उससे विमान (लैंडिंग अंतरराष्ट्रीय) पर प्रति पखवाड़े प्रति आपरेटर में प्रतिशतता वृद्धि	प्रति पखवाड़े प्रति ऑपरेटर सभी संचालनों में दी गई छूट
10%	1%
15%	2%
20%	3%
25%	4%
30%	5%

टिप्पणी:

- विमान में प्रतिशतता वृद्धि को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।
- कुल लैंडिंग पर छूट केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 16.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक विमान संचालन प्रति आपरेटर को पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छूट की गणना के प्रयोजन के लिए कीलित (Frozen) कर दिया जाएगा।

टिप्पणी

1)	जहां तक लैंडिंग प्रभारों का संबंध है भारतीय आपरेटरों द्वारा उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय मार्गों के सभी घरेलू लैग्स (legs) को घरेलू उड़ानों के रूप में माना जाएगा इस संबंध में ऐसी उड़ानों की निर्दिष्ट उड़ान संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	क) हवाई अड्डे पर घरेलू अनुसूचित आपरेटर द्वारा संचालित किए जाने वाले 80 से कम सीट वाले अधिकतम प्रमाणित क्षमता वाले विमान और ख) सभी प्रकार के हेलीकाप्टरों ग) डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग स्कूल/फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एयरक्राफ्ट के संबंध में लैंडिंग प्रभार देय नहीं होगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी (अर्थात 1000 किग्रा) के आधार पर गणना की जाएगी

स्टांप

II) पार्किंग और हाऊसिंग प्रभार

	दरें (₹ में)	दरें (₹ में)
एयरक्राफ्ट का वजन	पार्किंग प्रभार दर प्रति घंटा	हाऊसिंग प्रभार दर प्रति घंटा
25 एमटी तक	₹ 3 प्रति घंटा प्रति एमटी	₹ 6 प्रति घंटा प्रति एमटी
25 एमटी से अधिक 50 एमटी तक	₹ 75+ ₹ 4 प्रति घंटा प्रति एमटी 25 एमटी से अधिक पर	₹ 150+ ₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 25 एमटी से अधिक पर
50 एमटी से अधिक 100 एमटी तक	₹ 175+ ₹ 8 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर	₹ 350+ ₹ 16 प्रति एमटी प्रति घंटा 50 एमटी से अधिक पर
100 एमटी से अधिक 200 एमटी तक	₹ 575+ ₹ 10 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर	₹ 1,150+ ₹ 20 प्रति एमटी प्रति घंटा 100 एमटी से अधिक पर
200 एमटी से अधिक	₹ 1,575+ ₹ 11 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर	₹ 3,150+ ₹ 22 प्रति एमटी प्रति घंटा 200 एमटी से अधिक पर

नोट

1)	पहले दो घंटों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निःशुल्क पार्किंग अवधि की गणना करते समय, पार्किंग स्टैंड में प्रवेश करने के समय और वास्तविक पार्किंग समय के मध्य के समय के कारण 15 मिनट का मानक समय जोड़ा जाएगा। पार्किंग स्टैंड से टेक आफ प्वाइंट तक विमान के टैक्सिंग समय के कारण 15 मिनट के एक अन्य मानक समय को जोड़ा जाएगा। ये अवधियां प्रत्येक विमान के लिए लागू होंगी इसके लिए लैंडिंग के बाद और टेकऑफ़ से पहले विमान के मूवमेंट में लिए गए वास्तविक समय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2)	प्रभार्य पार्किंग समय की गणना के लिए एक घंटे का कोई भी हिस्सा अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा।
3)	प्रभार की निकटतम एमटी के आधार पर गणना की जाएगी।
4)	प्रत्येक पार्किंग अवधि के लिए प्रभार निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।
5)	इन कॉन्टेक्ट स्टैंडों और ओपन स्टैंडों पर मुफ्त पार्किंग के बाद अगले दो घंटे के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार लगाया जाएगा। इस अवधि के बाद ये प्रभार सामान्य पार्किंग प्रभार से दोगुना होंगे।
6)	कालीकट हवाई अड्डा पर सभी घरेलू अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए रात्रि पार्किंग प्रभार को सिद्धांत रूप से छोड़ने का निर्णय लिया गया है, यदि राज्य सरकार ने एटीएफ पर कर (वैट) की दर 5% तक लगाई है। रात्रि पार्किंग प्रभार (2200 बजे से 0600 बजे के बीच) की उपरोक्त छूट राज्य सरकार द्वारा एटीएफ पर 5% कर के कार्यान्वयन की तारीख से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा एटीएफ की कर दर बढ़ाए जाने की ओर संशोधन की स्थिति में, निःशुल्क रात्रि पार्किंग प्रभार की राहत को उक्त राज्य के अधिकार क्षेत्र में सभी हवाई अड्डे के लिए वापिस लिए जाने की तरह भी माना जाएगा।

स्टांप

III) थ्रूपुट प्रभार

दर प्रति किलोलीटर (₹ में)
₹ 136.30

IV) यात्री सेवा फीस (पीएसएफ)- प्रतिभूति (सिक्युरिटी)* - विद्यमान दर जारी रहेगी।

- 1) 130/- ₹ प्रति सवार अंतरराष्ट्रीय/घरेलू यात्री के लिए।
- 2) डालर टैरिफ के प्रति जारी किए गए टिकटों के संबंध में यूएस \$ 3.25 (यूएस \$ तीन और पच्चीस सेंट मात्र) प्रति यात्री ।
- 3) संग्रहण प्रभार: अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.50% संग्रहण प्रभार का एएआई द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर एयरलाइन पीएफ का एएआई को भुगतान करने में विफल रहता है तो कोई भी संग्रहण प्रभार नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय है राशि का निपटारा 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।
- 4) ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई पीएसएफ (प्रतिभूति (सिक्युरिटी)) नहीं लगाया जाएगा।
- 5) यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा। यदि भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाता है, तो प्रति यात्री पीएसएफ का 2.5% का संग्रहण देय है।

*पीएसएफ- प्रतिभूति (सिक्युरिटी) को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली दरें लागू होंगी।

V) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ)

विवरण	दर
घरेलू	₹ 213 प्रति सवार यात्री
अंतरराष्ट्रीय	₹ 476 प्रति सवार यात्री

टिप्पणी

1)	अगर बीजक की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अदायगी की जाती है तब एएआई द्वारा 5 रूपए की दर से प्रति प्रस्थान यात्री अदायगी की जाएगी। यदि एयरलाइन 15 दिन की क्रेडिट अवधि के भीतर यूडीएफ बीजक की अदायगी या अदायगी का कोई भाग एएआई को करने में विफल रहती है तब संग्रहण प्रभारों की अदायगी नहीं की जाएगी। इस संग्रहण प्रभारों का दावा करने का पात्र होने के लिए एयरलाइनों का एएआई के किसी खाते पर कोई अतिदेय (overdue) नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी संग्रहण प्रभार देय हैं राशि का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
2)	संग्रहण प्रभार अनियत आपरेटरों/गैर अनुसूचित आपरेटरों पर नहीं लगाए जाएंगे।
3)	यूएस \$ को INR में परिवर्तन के लिए पहली पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने के पहले दिन की दर को और दूसरी पाक्षिक बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर को अपनाया जाएगा।
4)	ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोई यूडीएफ नहीं लगाया जाएगा।

स्टॉप

VI) हवाई अड्डों पर लेवी से और पीएसएफ से संग्रहण में छूट:

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या ए.वी.16011/002/2008-एएआई दिनांक 30.11.2011 द्वारा एएआई को निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए लेवी से और यूडीएफ और सिक्युरिटी के संग्रहण से छूट देने का निर्देश दिया है।

क)	बच्चे (2 साल तक की आयु के),
ख)	राजनयिक पासपोर्ट धारकों,
ग)	ड्यूटी पर एयरलाईन कर्मिंदल इसमें बोर्ड पर स्काई मार्शल और एयर लाईन कर्मिंदल को केवल विशेष उडान के लिए (इसमें डेड हेड क्रू, या ग्राउंड कार्मिक शामिल नहीं होंगे),
घ)	भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित विमान पर पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति,
च)	संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पदीय कर्तव्य पर यात्रा करने वाले व्यक्ति
छ)	ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री (यह छूट सभी 24 घंटों तक पारगमन करने वाले यात्रियों को दी जा सकती है। "यात्री को केवल तभी पारगमन में माना जाता है, अगर हवाई अड्डे में आने से आगे की यात्रा 24 घंटे के भीतर की है और उसी टिकट का हिस्सा हो, यदि 2 अलग टिकट जारी किए जाते हैं तो इसे पारगमन यात्री के रूप में नहीं माना जाएगा")
ज)	यात्रियों का अनैच्छिक पुनः रूटींग (re-routing) अर्थात तकनीकी समस्याओं या मौसम की स्थिति के कारण भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान करना।

VII) सामान्य शर्त:

- क) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आपरेट की जाने वाली उडान भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की तिथि से प्राधिकरण के तारीख 31.03.2017 के आदेश संख्या 20/2016-17 के अनुसार प्रभारों से पूर्णतः मुक्त होगी।
- ख) सभी उपरोक्त प्रभार जीएसटी को छोड़ कर हैं। जीएसटी लागू दरों पर उपरोक्त शुल्कों के लिए अतिरिक्त देय है।

स्टांप

(नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए।)

